



प्रेस नोट

पन्ना टाईगर रिजर्व के असूचना तंत्र के प्रयासों से बाघ के शिकार का खुलासा

पन्ना टाईगर रिजर्व के असूचना तंत्र के विगत डेढ़ माह के प्रयासों से दिनांक 19.12.2010 को उत्तर पन्ना वन मण्डल के देवेन्ट्रनगर परिक्षेत्र के बरहों गांव में सफलतम कार्यवाही की गई है। श्री मिजाजी गौड़ वल्द लकखू गौड़ साकिन बरहों, ईश्वर दीन सिंह वल्द लकखू गौड़ निवासी बरहों एवं मुन्नी लाल तिवारी वल्द राम मिलन तिवारी निवासी बरहों के घरा से जप्तियां की गई हैं। मिजाजी गौड़ के घर से बाघ की कुछ हड्डियां जप्त हुई हैं जबकि ईश्वर दीन एवं मुन्नी लाल के घर से सांभर की सींग के छोटे-छोटे टुकड़े जप्त हुए हैं। इस प्रकरण के तथ्य निम्नानुसार हैं :-

इसी वर्ष होली (मार्च 2010) के तुरन्त बाद बरहो गांव से लगे हुए पत्तलिया सेहा में एक बाघ का बन्दूक की मदद से शिकार किया गया। बाघ के चमड़े को कहीं बेचने में सफलता मिली है। साक्षयों को मिटाने के उद्देश्य से मिजाजी व अन्य अपराधियों के द्वारा बाघ के शेष अवशेषों को जलाया गया है। कुछ दिनों के बाद मिजाजी के द्वारा इसी स्थल से बाघ की कुछ हड्डियां निकाल कर अपने निवास में रखा था। इसकी जप्ती उनके निवास से की गई है। इसके अतिरिक्त अपराध के स्थल को भी मौके पर पहचाना गया है जो कि बाधिन नदी के पत्तलिया सेहा में स्थित है। इस स्थल से भी अधजली कुछ और बाघ की हड्डियां जप्त की गई हैं। प्रकरण से सम्बन्धित अन्य अपराधियों की जांच जारी है जिसमें शीघ्रातिशीघ्र सफलता प्राप्त होने की उम्मीद है।

इस प्रकरण में मार्गदर्शन क्षेत्र संचालक पन्ना टाईगर रिजर्व व उप संचालक पन्ना टाईगर रिजर्व द्वारा दिया गया है एवं प्रकरण की जांच व तलाशी में श्री आई.के. अफरीदी, परिक्षेत्र अधिकारी मड़ला, श्री जे.पी. तिवारी, परिक्षेत्र अधिकारी पन्ना व उनकी टीम के विशेष प्रयासों से सम्पन्न हुई। इस प्रकरण के सफलतम समन्वय में श्री अमित दुबे, वन मण्डलाधिकारी उत्तर पन्ना व उनकी टीम का योगदान उल्लेखनीय है। पी.ओ.आर. क्रमांक 479/02 दिनांक 19.12.2010 के तहत प्रकरण दर्ज कर मुल्जिमों को न्यायालय म प्रस्तुत किया गया। इस प्रकरण की उजागर से बुन्देलखण्ड के शेष बचे बाघों की सुरक्षा एवं पन्ना टाईगर रिजर्व के विस्थापित बाघों की सुरक्षा को लेकर भी वन विभाग चित्तित है। इस चुनौती का मुकाबला करने हेतु पन्ना टाईगर रिजर्व एवं वन विभाग प्रबन्धन दृढ़ संकल्पित है। आम और खास से अनुरोध किया जाता है कि इस प्रकार के प्रकरण होने से पहले वन विभाग को सूचना देवें, ताकि शिकार के प्रकरणों की रोकथाम की जा सके।

क्षेत्र संचालक,
पन्ना टाईगर रिजर्व, पन्ना